उपायुक्त का न्यायालय, कोडरमा

सरफेसी केस नं0–81 / 2019

शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया, पथलडीहा शाखा, बनाम सुभाष कुमार विश्वकर्मा।

आदेश

शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया, पथलडीहा शाखा, जिला–कोडरमा द्वारा सरफेसी एक्ट के अन्तर्गत सुभाष कुमार विश्वकर्मा, पिता–उमाशंकर विश्वकर्मा, ग्राम–गुमो, बरवाडीह, कालीमण्डा के सामने, पोस्ट–गुमो, थाना–तिलैया, जिला–कोडरमा द्वारा (A/C No-489530110000110) के विरूद्ध सरफेसी वाद दायर किया गया है।

बैंक ऑफ इंडिया, पथलडीहा शाखा द्वारा आवेदित किया गया है कि प्रतिवादी सुभाष कुमार विश्वकर्मा द्वारा चौमिन विनिर्माण हेतु 25,00,000 / – (पच्चीस लाख रूपये) दिनांक 27–02–2017 को ऋण लिया गया। ऋण वापसी हेतु बैंक के द्वारा अनेकोबार नोटिस भेजा गया, परन्तु सुभाष कुमार विश्वकर्मा द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया।

बैंक द्वारा बंधक रखी गई भूमि का Physical Possession लेने हेतु अनुरोध किया गया है।

शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया, पथलडीहा शाखा द्वारा धारा–13(2) सरफेसी एक्ट के अन्तर्गत नोटिस, धारा–13(4) के अन्तर्गत Possession नोटिस तथा समाचार पत्र में सूचना का प्रकाशन की छायाप्रति संलग्न की गई है।

आवेदन का अवलोकन कर दोनों पक्षों को नोटिस निर्गत कर वाद की कार्रवाई प्रारम्भ किया गया। विपक्षी वकालतनामा के साथ उपस्थित होकर दिनांक 7.02.2020 को ऋण चुकाने हेतु 06 माह का समय की मांग हेतु अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में आवेदन दिया गया। विपक्षी द्वारा जवाब दाखिल करने हेतु बार–बार समय की मांग की गई परन्तु उनके द्वारा जवाब दाखिल नहीं किया गया। दिनांक 09.02.2021 के सुनवाई के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा बैंक से विपक्षी द्वारा बैंक में राशि जमा किया गया है कि नहीं इस संबंध में लिखित जवाब की मांग की गई। दिनांक 02.03.2021 को बैंक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा लिखित जवाब दाखिल किया गया कि दिनांक 27.02.2020 के बाद विपक्षी द्वारा ऋण का एक भी पैसा जमा नहीं किया गया।

विषयांकित वाद में सरकारी अधिवक्ता, कोडराम से मंतव्य की मांग की गई। उक्त के आलोक में विद्वान सरकारी अधिवक्ता, कोडरमा द्वारा विधिक मंतव्य प्राप्त हुआ जो निम्नवत है:–

1. That in the instant case, the petitioner has preferred the petition for taking physical possession over the mortgaged property which is mortgaged in its favour.
2. That according to the act, the petitioner has compiled to publish a notice in a newspaper u/s 13(4) of SARFAESI Act.

CC/156 3.4.21

C.C./245 07/5/21

उपायुक्त का न्यायालय

3. That there is not any dispute regarding the loan and its Securitisation and the Opp. Party is admittedly defaulter regarding the payment of Loan.
4. That after given due opportunity to the borrower and after publishing the notice in newspaper, petitioner has preferred instant petition to the Your Honour's Court of proper jurisdiction of taking physical possession of such secured assets and to forward such assets and documents to the petitioner who is secured creditor of such assets.
5. That according to the act, the petitioner is entitled to take over the physical possession over such secured assets.

अभिलेख में संलग्न कागजातों तथा सरकारी अधिवक्ता, कोडरमा से प्राप्त विधिक मंतव्य का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुना।

बैंक ऑफ इंडिया, पथलडीहा शाखा, से लिये गये ऋण एवं उधार को चुकता करने हेतु उनके द्वारा बैंक के पक्ष में रखी गई बन्धक सम्पति को कब्जे (Possession) में लेने और इसे Secured Creditor बैंक ऑफ इंडिया, पथलडीहा शाखा, को अग्रसारित करने के पर्याप्त साक्ष्य एवं कारण मौजूद है।

अतः SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 धारा 14 (2) के अन्तर्गत इसको कब्जा में लेने और इसे Secured Creditor को अग्रसारित करने का आदेश देता हूँ।

बैंक ऑफ इंडिया, पथलडीहा शाखा के पक्ष में बंधक रखी सम्पति को अपने कब्जा में लेकर ऋण एवं उधार के चुकता करने हेतु SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 धारा 14 (1) एवं 14 (2) के अनुरूप विधि सम्मत कार्रवाई करें।

अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

23/3/21

उपायुक्त,कोडरमा।

उपायुक्त का न्यायालय सत्यमेव जयते कोडरमा

23/3/21

उपायुक्त

कोडरमा।

Digitally signed by PARAS NATH YADAV
Date: 2021.10.01 04:35:37 -07:00
Location: 192.168.21.118